न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारीः— श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 08/2013 व 7/13 दायरा दिनांक 29.10.2013

1. नसीब कौर पत्नी श्री रूलदु सिंह जाति मजहबी सिख निवासी महियांवाली
2. नत्था पुत्री श्री रूलदु सिंह पत्नी श्री सुखविन्द्र सिंह " "
3. गुरमीत कौर पुत्री श्री रूलदु सिंह पत्नी बलविन्द्र सिंह निवासी सरावां बोदला

बनाम

1. परमजीत कौर उर्फ पम्मी पुत्री रूलदु सिंह पत्नी देशराज नि0 लम्बी ढाब
2. ज्ञान कौर पत्नी श्री रूलदु सिंह पत्नी श्री बलकरणसिंह निवासी लम्बी ढाब
3. रजनदीप कौर पुत्री श्री रूलदु सिंह जाति मजहबी सिख निवासी लम्बी ढाब

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार श्री करणपुर दिनांक 17.05.2013
अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः—
1. श्री तेजासिंह एडवोकेट जरिये अपीलांटस
2. श्री दिनेश छाबड़ा एडवोकेट जरिये रैस्पोडेंटस

।। निर्णय ।। दिनांक 14/11/17

सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपीलें इस आश्य की पेश की गई कि चक 2 ओ तहसील श्री करणपुर के मुरब्बा नम्बर 29 में 1.082 हैक्टेयर भूमि अपीलांटस व रैस्पोडेंटस के पिता व पति रूलदु सिंह के नाम दर्ज थी। रूलदु सिंह का देहान्त दिनांक 7.11.2012 को हो चुका है। अपीलांटस व रैस्पोडेंटस रूलदु सिंह के हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जायज वारिसान हैं। रूलदु सिंह ने अपने जीवन काल में कभी भी कोई वसीयत रैस्पो0 नं0 1 ता 3 के पक्ष में तहरीर नहीं की। रूलदु सिंह की मृत्यु के बाद रैस्पोडेंटस संख्या 1 ता 3 ने साजिशी अनरजिस्टर्ड वसीयत तैयार कर रूलदु सिंह के नाम की भूमि का इन्तकाल कथित वसीयत के आधार पर करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना समुचित जांच किये व बिना वारिसनामा लिये व बिना वारिसान को नोटिस जारी किये एक पक्षीय रूप से विधिक प्रावधानों की पालना किये आदेश जेर अपील पारित कर दिया व इन्तकाल करने के आदेश 9.12.2013 को दिये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मुरतिब कर सार्वजनिक नोटिस अखबार में साया करवाने के आदेश दिये लेकिन वारिसान को दीवानी प्रावधानों को कोई नोटिस जारी नहीं किये गये। साजिशी वसीयत के संबंध में आम जन को कोई आपति नहीं होती। इन्तकाल क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया है प्रथम 45 दिन तक नियमानुसार इन्तकाल स्वीकृत करने का अधिकार सरपंच का है तदुपरान्त ही अधिनस्थ न्यायालय को अधिकार था। अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाये जाने के आदेश दिये जायें।

अपीलें पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई व रैस्पोडेंटस को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। दोनो अपीलों के तथ्य एक समान है, पक्षकारान व विवाद की विषय वस्तु एक समान है अतः दोनो का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनो पत्रावलियों में रखी जावे।

बहस उभय पक्षीय सुनी गई। अपीलांटस के सुयोग्य अधिवक्ता का अपनी बहस में कथन है कि अपीलकृत आराजी अपीलांटस व रैस्पोडेंटस के पिता व पति रूलदु सिंह के नाम दर्ज थी। रूलदु सिंह का देहान्त हो चुका है। अपीलांटस व रैस्पोडेंटस रूलदु सिंह के हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जायज वारिसान हैं। रूलदु सिंह ने अपने जीवन काल में कभी भी कोई वसीयत रैस्पो0 नं0 1 ता 3 के पक्ष में तहरीर नहीं की। रूलदु सिंह की मृत्यु के बाद रैस्पोडेंटस संख्या 1 ता 3 ने साजिशी अपंजीकृत वसीयत तैयार कर रूलदु सिंह के नाम की भूमि का इन्तकाल कथित वसीयत के आधार पर करवाने हेतु प्रार्थना पत्र

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना समुचित जांच किये व बिना वारिसनामा लिये व बिना वारिसान को नोटिस जारी किये एक पक्षीय रूप से विधिक प्रावधानों की पालना किये आदेश जेर अपील पारित कर दिया व इन्तकाल करने के आदेश 9.12.2013 को दिये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मुरतिब कर सार्वजनिक नोटिस अखबार में साया करवाने के आदेश दिये लेकिन वारिसान को दीवानी प्रावधानों को कोई नोटिस जारी नहीं किये गये। इन्तकाल क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया है प्रथम 45 दिन तक नियमानुसार इन्तकाल स्वीकृत करने का अधिकार सरपंच का है तदुपरान्त ही अदालत मातहत को अधिकार था। उनका मुख्य तर्क है कि अपंजीकृत वसीयत का इन्तकाल किये जाने का अधिकार तहसीलदार को नही है। इस संबंध में सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा दृष्टांत आर बी जे(16) 2009 पेज312 एवं आर आर टी 1914 पेज 196 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया व अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाये जाने की इस्तदुआ की गई।

इसके विरोध में लायक वकील रैस्पो. का तर्क है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2013 का है जबकि अपील 13.09.2013 को की गई है जो मियाद बाहर है। वकील रैस्पो. का कथन है कि अपीलांटस व रैस्पो. एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसलिये अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान था लेकिन चूँकि अपीलांटस द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसके समर्थन में शपथ पत्र पेश किया गया है कि उन्हे अपीलार्धान आदेश का ज्ञान 09.09.13 को हुआ व तत्पश्चात नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई है। इसके विरोध में लायक वकील रैस्पो. का कथन है कि मातहत अदालत द्वारा अखबार में साया करवा दिया गया था। इसलिये अपीलांट को इसका ज्ञान होना चाहिये लेकिन हम वकील अपीलांट के इस तर्क से सहमत हैं कि आम जन को किसी व्यक्ति विशेष के हितों के निर्धारण पर आपति नहीं होती इस हेतु भूमि के वारिसान को सुना जाना चाहिये अतः ज्ञान के आधार पर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

वकील अपीलांट का मुख्य तर्क है कि वसीयत अपंजीकृत है जिसके आधार पर इन्तकाल किये जाने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर एकल पीठ द्वारा विनिश्चिय किया गया है कि **Rajasthan Land Revenue(Land Records) Rules 1957 Rule 132 mutation cannot be attested on the basis of unregistered Will.**

इस संबंध में वकील रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत नजीर आर आर डी 2016 पेज 14 उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होती क्योंकि उक्त नजीर रजिस्टर्ड वसीयत के संबंध में है निर्धारित किया है कि नामान्तकरण की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है और अधिकार का निर्धारण नहीं होता। नजीर आर आर डी 1992 पेज 360 में भी यह अवधारित किया गया है कि वसीयत से किसी पक्षकार को आपति हो तो नियमित वाद दायर किया जाना चाहिये।

उभय पक्षों की बहस व उनके द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्तो के ससम्मान अवलोकन के पश्चात पाया जाता कि वसीयत की वैधता की जांच करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है। नियम 132 के प्रावधान अनुसार अन रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तकरण नहीं खोला जाना चाहिये था विरासतन व वसीयत के बीच विवाद होने की स्थिति में वसीयत के आधार पर हक का दावा करने वाले सक्षम न्यायालय से वसीयत के आधार पर उतराधिकार की घोषणा करवाई जानी चाहिये थी।

अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2013 व उसके आधार पर दर्ज इन्तकाल संख्या 533 दिनांक 28.05.2013 अपास्त किये जाते हैं। रैस्पो. इस संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय से उपचार प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र हैं।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता)